

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

E.A. NO.38/2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 418/2023

IN THE MATTER OF:
NIRMAL KUMAR TRIPATHI

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P.& ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT BY U.P. JAL NIGAM (URBAN), DEORIA, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 29.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF ACCEPTANCE LETTER DATED 22.10.2021 AND LETTER DATED 10.09.2022 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 02.05.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 07.05.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	THE AGREEMENT EXECUTED WITH THE PRIVATE OWNERS ARE ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	THE PHOTOGRAPHS OF THE SAND	



	STACKING AND MAP SHOWING THE SAND STACKING ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	THE PHOTOGRAPHS OF THE SAND BEING TRANSPORTED WHILE BEING COVERED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	THE PHOTOGRAPHS OF WATER SPRINKLING IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	THE PHOTOGRAPHS OF THE EXCAVATION SITE BEING COVERED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	A COPY OF LETTER DATED 20.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-9	
11.	A COPY OF LETTER DATED 23.06.2025 AND 18.07.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-10	
12.	A COPY OF LETTER DATED 17.08.2023 HANDING OVER THE FSTP TO NPP IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-11	

THROUGH COUNSEL

Bpsjadon

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR U.P. JAL NIGAM (URBAN)
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE:06.08.2025
PLACE: NOIDA



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

E.A. NO.38/2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 418/2023

IN THE MATTER OF:

NIRMAL KUMAR TRIPATHI

...APPLICANT

VERSUS


STATE OF U.P.& ORS.

...RESPONDENT(s)

COMPLIANCE REPORT BY U.P. JAL NIGAM (URBAN), DEORIA, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 29.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Anoop Singh, aged about 37 years, S/o Shri Omkar, posted as Executive Engineer, U.P. Jal Nigam (Urban), do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Anoop Singh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.



2. That in the present matter, the Applicant is alleging non-compliance and is seeking execution of order dated 09.04.2024 passed by the Hon'ble Tribunal in *O.A. NO. 418/2023 "Nirmal Kumar Tripathi vs State of U.P. & Ors."*.
3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 09.04.2024 in *O.A. NO. 418/2023 "Nirmal Kumar Tripathi vs State of U.P. & Ors."* directed as below:

"...20. The Deoria city is located in Gangetic plain predominated by sandy loam soil which is susceptible to seepage. The geo-physical setting of the city results in serious water logging problem during monsoon. In view of the facts and circumstances of the case and the material on record, we are of the considered view that the project scheme of storm water drainage as designed/planned in Deoria for the control of water logging problems may be undertaken. However, slabs on the top should only be on those location/places where requirement/necessity of right of the way arises.

21. Keeping in view the ground realities and to ensure prevention and control of water logging problem in municipal limit of Deoria the

Following directions are given for strict compliance:-




- i) *The excavated soil need to be stored on a designated place to avoid its spread on road and prevent dust pollution.*
- ii) *The water tankers should be in place for spraying water on the affected areas to prevent dust from being airborne.*
- iii) *Steel sheet/netlon should be used on both sides of drain during soil excavation to prevent spread of dust in the area.*
- iv) *The compensatory afforestation in lieu of 58 road side trees permitted for removal/denudation by Forest Department should be undertaken by DFO, Deoria with the amount of Rs. 10.47 lakh already allocated for the purpose. The compensatory afforestation with native species need to be done with the objective to develop a small biodiversity park at appropriate location in the area.*
- v) *The plantation on both the banks of the storm water drain should be carried out by suitable grasses, shrubs and native trees including bamboo for the protection of banks from erosion and enhancing aesthetic/scenic value of the drain. The DFO, Deoria is made nodal officer for this task and U.P State Jal Nigam is directed to provide necessary funds to DFO, Deoria for this purpose within one month of the demand raised by him.*



vi) There should be foolproof mechanism to prevent mixing of municipal sewage into the storm water. The Regional Officer, Gorakhpur and Executive Officer, Municipal Council, Deoria are directed to ensure regular monitoring in this regard... ”

4. That the concerned under construction Kurna Drain is being constructed by Jal Nigam to mitigate the issue of water logging in Deoria. The stretch of the under construction storm water drain is 8.575 km approximately. The DPR for the construction of the storm water drain was accepted by the State of UP through acceptance letter dated 22.10.2021 and the first instalment of Rs. 500.00 (Five crores) was granted to the Jal Nigam for the construction of the same. Furthermore, the second instalment of was granted to Jal Nigam by the State of UP via letter dated 10.09.2022 of Rs. 1000.00 (Ten Crores). A copy of acceptance letter dated 22.10.2021 and letter dated 10.09.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

5. That the requisite compliances made by the UP Jal Nigam (Urban), Deoria, U.P. (hereinafter referred to as “Jal Nigam”) in compliance of order dated 09.04.2025 passed by the Hon’ble Tribunal are follows:




i. *The excavated soil need to be stored on a designated place to avoid its spread on road and prevent dust pollution.*

a. That, in order to prevent the dispersal of surplus excavated soil onto the roadway and to mitigate dust pollution, the Jal Nigam, vide letter dated 02.05.2025, addressed a request to the Nagar Palika Parishad, Deoria (hereinafter referred to as "NPP"), seeking allotment of a suitable designated site for the proper stacking of surplus soil generated from the excavation works undertaken for the construction of the RCC drain, with the intention that the said soil may subsequently be utilised for other administrative or developmental purposes.

A copy of letter dated 02.05.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-2.

b. That in response to the above-mentioned letter dated 02.05.2025 by the Jal Nigam, the NPP informed the Jal Nigam vide letter dated 07.05.2025 that the stacking of the surplus soil can be done at the MRF Centre run by NPP located at Bhujouli Colony.

A copy of the letter dated 07.05.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-3.




c. That, at present, the excavated soil is being stored at the designated lands of private owner till the completion of the construction of the storm water drain. Jal Nigam has executed agreements dated 03.02.2025 and 04.02.2025 with the private land owners to store the excavated soil for back filing and, subsequent to the complete construction of the concerned drain, after back filing, the surplus excavated soil will be duly stored at the MRF Centre.

The agreement executed with the private owners are annexed herewith and marked as ANNEXURE-4.

The photographs of the excavated soil stacking and map showing the excavated soil stacking are annexed herewith and marked as ANNEXURE-5.

d. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the transportation of the excavated soil to the private owners land is done with the transportation being properly covered to prevent dust pollution, and in compliance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal.

The photographs of the excavated soil being transported while being covered is annexed herewith and marked as ANNEXURE-6.



ii. *The water tankers should be in place for spraying water on the affected areas to prevent dust from being airborne.*

a. That the Jal Nigam, as per the directions of the Hon'ble Tribunal, has undertaken water sprinkling while carrying out the construction of the storm water drain. The exercise of water sprinkling is done 2 times a day to prevent the dust from being airborne.


The photographs of water sprinkling is annexed herewith and marked as ANNEXURE-7.

iii. *Steel sheet/netlon should be used on both sides of drain during soil excavation to prevent spread of dust in the area.*


a. That, in compliance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal, the green net and barricades are being used to cover the construction sites of the storm water drain during soil excavation to prevent spread of dust in the area.

The photographs of the excavation site being covered is annexed

herewith and marked as ANNEXURE-8.



- iv. *The compensatory afforestation in lieu of 58 road side trees permitted for removal/denudation by Forest Department should be undertaken by DFO, Deoria with the amount of Rs. 10.47 lakh already allocated for the purpose. The compensatory afforestation with native species need to be done with the objective to develop a small biodiversity park at appropriate location in the area.*
- v. *The plantation on both the banks of the storm water drain should be carried out by suitable grasses, shrubs and native trees including bamboo for the protection of banks from erosion and enhancing aesthetic/scenic value of the drain. The DFO, Deoria is made nodal officer for this task and U.P State Jal Nigam is directed to provide necessary funds to DFO, Deoria for this purpose within one month of the demand raised by him.*
- a. That for the felling of 58 road side trees as permitted by the Forest Department, the amount of Rs. 10,47,340/-has been duly paid by the Jal Nigam to the Forest Department on 21.11.2022for the development of a small biodiversity park. The same has been informed by the Jal Nigam to the forest department vide letter dated 20.02.2025 and request for tree felling was made.




A copy of letter dated 20.02.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-9.

- b. That vide letter dated 23.06.2025 and 18.07.2025 Jal Nigam has requested the Forest Department to develop a small biodiversity park as per the directions of this Hon'ble Tribunal. Furthermore, it was reiterated that the compensation has already been duly deposited by the Jal Nigam to the Forest Department for the purposes of the construction of the biodiversity park.

A copy of letter dated 23.06.2025 and 18.07.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-10.

- c. That additionally, as per the request made by the Forest Department to inform regarding the designated land for the construction of biodiversity park, vide the aforementioned letters, the Jal Nigam has informed the forest department regarding the suitable land identified for the biodiversity park. Jal Nigam has held discussions with the Sub-District Magistrate, DeoriaSadar and the Tehsildar Sadar and has requested them to provide the land.




d. That it is respectfully submitted before the Hon'ble Tribunal that the compensation towards plantation along the embankments of the storm water drain shall be duly disbursed by the Jal Nigam upon receipt of the requisite cost estimate from the Forest Department.

vi. *There should be foolproof mechanism to prevent mixing of municipal sewage into the storm water. The Regional Officer, Gorakhpur and Executive Officer, Municipal Council, Deoria are directed to ensure regular monitoring in this regard.*

a. That the sewage generated in NPP Deoria is about 22.85MLD. That for the treatment of the fecal sludge, Jal Nigam has constructed 32 KLD FSTP in 2023 and the same has been handed over to NPP vide letter dated 17.08.2023 and is currently being operated at 22 KLD Efficiency by them.


A copy of letter dated 17.08.2023 handing over the FSTP to NPP is annexed herewith and marked as ANNEXURE-11.

6. That it is respectfully submitted before the Hon'ble Tribunal that out of the



constructed. The remaining 2.5 km shall be duly completed immediately upon the conclusion of the monsoon season. Presently, the construction activities stand temporarily suspended due to prevailing monsoon conditions. However, it is assured that the execution of the remaining portion of the storm water drain shall be undertaken and completed expeditiously thereafter.

7. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.
8. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.




Amel..
DEPONENT
Executive Engineer
Construction Division
U. P. Jal Nigam (URBAN), Deoria

VERIFICATION

Verified at Deoria on this 2nd day of August, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 8 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Anil...
DEPONENT
Executive Engineer
Construction Division
U. P. Jal Nigam(URBAN), Deoria

I don't feel
Suresh Singh Adv.
2-8-25



8728 of 2-8-2025
Date A.M./P.M.
I have Administered Oath To Shri.....
Identified by Shri... **ANUP SINGH**
Have Satisfied My Self By Examining The
Deponent He/She understands Contents of
Affidavit Has Explained to him **ASH SINGH**
Advocate
Chandra Kishore Srivastava
Advocate
Deoria
2-8-25

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (नगरीय)

डायरी सं० 4509

दिनांक 02.11.2021

1091

08/11/2021

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया जनपद-देवरिया हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज से संबंधित परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(नागर), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-120/नागर-2/033-0304/2021, दिनांक 25.05.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया जनपद-देवरिया हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज से संबंधित परियोजना हेतु रुपये 4133.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रुपये 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम तथा विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त विल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) निकायो द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृति की गई है। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) प्रशासकीय विभाग विल (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।
- (4) नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाये।
- (5) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्यों को बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करने इत्यादि का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (6) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय तथा निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- (8) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था पर होगी तथा कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।


- (10) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (11) संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाये।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आव्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-9-1690/दस-2021-2022, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय


22.10.2021

(कल्याण बनर्जी)


संयुक्त सचिव

संख्या-143/2021/8251/नी-5-21-61बजट/2020, तृदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 10- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से


22.10.2021

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव

Allotment Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/10/2021

प्रमाण संख्या:- 143
आदेश संख्या:- 001-143-2021-8251-9-5-2021-61B-2020
आवंटन संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
आवश्यकता:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 767797000	50000000 767797000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 767797000	50000000 767797000

वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़
प्रगामी आवंटन):- रूपया छिहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख सत्तानवे हजार


(अवधेश कुमार मिश्रा)
उप सचिव

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र०जल निगम(नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 10 सितंबर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद-देवरिया की जल निकासी हेतु आर०सी०सी० स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-64/नागर-2/033-0410/2022, दिनांक 23.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद-देवरिया की जल निकासी हेतु आर०सी०सी० स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु शासनादेश संख्या-143/2021/8251/नौ-5-21-61बजट/2020, दिनांक 22.10.2021 द्वारा स्वीकृत लागत ₹० 4133.32 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि द्वारा रुपये 500.00 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किशत के रूप में ₹० 1000.00 लाख (₹० दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों


- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/ विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (5) प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (12) कार्यस्थल पर राज्यस्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।
- (14) संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.07.2015 की शर्तें यथावत् रहेंगी।
- (15) गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानकानुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के संबंधित अधिकारियों की होगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


4 यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

 (कल्याण बनर्जी)
 संयुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 114 /2022/3739/001-61 Budget-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- मण्डलायुक्त-गोरखपुर/जिलाधिकारी-देवरिया।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद देवरिया, जनपद-देवरिया।
- 9- वरिष्ठअधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 10- मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर।
- 11- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

 (कल्याण बनर्जी)
 संयुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।



98 Email ID : eecd_deoria_upjn@yahoo.com
ANNEXURE-2
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक : 825 / फायर-22 / 179 दिनांक 02-05-2025

सेवा में,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
देवरिया।

विषय :- नगर पालिका परिषद् देवरिया के अन्तर्गत बनाये जा रहे RCC Storm Water Drain की खुदाई के उपरान्त अवशेष मिट्टी को रखने हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि जनपद देवरिया के नगर पालिका परिषद् देवरिया में जल निकासी हेतु बनाये जा रहे "RCC Storm Water Drain" का निर्माण कार्य मेसर्स नन्द एण्ड सन्स, वार्ड नं0-08, किदवई नगर, चन्दौली, उ0प्र0 द्वारा अनुबंध संख्या 04/एस0ई0/2021-22 द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में कतरारी मोड़ से रामनाथ देवरिया मोड़ तक ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ड्रेन की खुदाई के दौरान ट्रेन्च से निकाली गयी मिट्टी में से ड्रेन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर Back Filling के पश्चात Surplus मिट्टी को Stacking हेतु परियोजनान्तर्गत कोई स्थान निर्धारित नहीं है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है, कि ड्रेन निर्माण के उपरान्त Surplus मिट्टी को Stacking हेतु स्थल निर्धारित कर इस खण्ड को अवगत कराने का कष्ट करे जिससे मिट्टी का उपयोग अन्य शासकीय कार्यों हेतु किया जा सकें।

भवदीय

(अनूप सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

01/05/25

पू0सं0 एवं दिनांक यथापरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 :- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
- 2 :- जयपुर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया।
- 3 :- श्री पंकज यादव, सहायक अभियन्ता / श्री रामकोमल चौधरी, जू0ई0।

(अनूप सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

01/05/25



कार्यालय - नगर पालिका परिषद, देवरिया।

Office of The Municipal Board, Deoria

Website- nppdeoria.in Toll Free No- 1800-180-1382 conppdeo@gmail.com



पत्रांक 464 / जल0अनु0 / 2025-26 / देवरिया

दिनांक-07/05/2025

सेवा में,

अधिकाशासी अभियन्ता
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)
निर्माण खण्ड, देवरिया।

कार्य-22
84
851
4-5-2025

विषय-नगर पालिका परिषद, देवरिया के अन्तर्गत बनाये जा रहे RCC Storm Water Drain की खुदाई के उपरान्त अवशेष मिट्टी को रखने हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 825/कार्य-22/79 दिनांक 20.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में कतरारी मोड़ से रामनाथ देवरिया मोड़ तक ड्रेन का निर्माण कार्य में निकल रहे Surplus मिट्टी को Stacking हेतु स्थल की अपेक्षा की गई, के क्रम में अवगत कराना है कि भुजौली कालोनी स्थित नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा संचालित एफ0आर0एफ0 सेन्टर पर Surplus मिट्टी को Stacking करना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Secy/Pankaj
अतः
Amul

अधिकाशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा0 अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका परिषद, देवरिया।
- 2- जिलाधिकारी महोदया, देवरिया।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्र0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, देवरिया।
- 4- श्री पंकज यादव, सहायक अभियन्ता/श्री रामकोमल चौधरी अवर अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), निर्माण खण्ड, देवरिया।

अधिकाशासी अधिकारी

Received
12/4/25

कतरारी मोड़ से हनुमान मन्दिर तक "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन" देवरिया में निर्माणाधीन नाला से निकाली गयी मिट्टी अस्थाई तौर पर उक्त नाला के दक्षिण दिशा स्थित मेरे आराजी सं0 998 रकबा 0.255 हे० क्षेत्र में इस शर्त पर रखने की अनुमति दी गयी है कि निर्माणाधीन उक्त नाला के Back Filling के उपरान्त अवशेष बची मिट्टी को सम्बन्धित विभाग उ०प्र० जल निगम (नगरीय), देवरिया द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थल MRF Center भुजौली कालोनी में Stacking कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर

नाम:- मुन्ना केशव नारायण

राम नारायण देवरिया

नाले की दक्षिण दिशा में अस्थायी तौर पर भूस्वामी की सहमति से सरप्लस मिट्टी को रखा गया है। निर्माणाधीन नाले से लगभग 12 से 15 मी० की दूरी पर स्थित है। निर्माणोपरान्त बैक फिलिंग के उपरान्त अवशेष मिट्टी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा निर्देशित स्थल MRF Center भुजौली कालोनी, देवरिया में Stacking कर ली जायेगी।

राम नारायण देवरिया
(प्र० २०)

24.02.25
(Ramraj Yadav)
A.E.

कतरारी मोड़ से हनुमान मन्दिर तक "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन" देवरिया में निर्माणाधीन नाला से निकाली गयी मिट्टी अस्थाई तौर पर उक्त नाला के ...
 और दिशा स्थित मेरे आराजी सं० 649 रकबा 0.130 हे०के० में इस शर्त पर रखने की अनुमति दी गयी है कि निर्माणाधीन उक्त नाला के Back Filling के उपरान्त अवशेष बची मिट्टी को सम्बन्धित विभाग उ०प्र० जल निगम (नगरीय), देवरिया द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थल MRF Center भुजौली कालोनी में Stacking कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर

नाम:- अरविन्द माण्ड

पता राम नाथ देवरिया
 870708

8707458322

नाले की उत्तर दिशा में अस्थायी तौर पर भूस्वामी की सहमति से सरप्लस मिट्टी को रखा गया है। निर्माणाधीन नाले से लगभग 12 से 15 मी० की दूरी पर स्थित है। निर्माणोपरान्त बैक फिलिंग के उपरान्त अवशेष मिट्टी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा निर्देशित स्थल MRF Center भुजौली कालोनी, देवरिया में Stacking कर ली जायेगी।

अरविन्द माण्ड
 रामकामल चौधरी
 (प्र० ५)

04.02.25
 (Aravind Maan)

कतरारी मोड़ से हनुमान मन्दिर तक "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन" देवरिया में निर्माणाधीन नाला से निकाली गयी मिट्टी अस्थाई तौर पर उक्त नाला के
 दक्षिण स्थित मेरे आराजी सं0 278/02 रकबा 0.236 हे० क्षेत्र में इस शर्त पर रखने की अनुमति दी गयी है कि निर्माणाधीन उक्त नाला के Back Filling के उपरान्त अवशेष बची मिट्टी को सम्बन्धित विभाग उ०प्र० जल निगम (नगरीय), देवरिया द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थल MRF Center भुजौली कालोनी में Stacking कर दी जायेगी।




हस्ताक्षर




नाम:-
 राजेश्वर पांडेय
 नगरपालिका देवरिया


नाले की दक्षिण दिशा में अस्थायी तौर पर भूस्वामी की सहमति से सरप्लस मिट्टी को रखा गया है। निर्माणाधीन नाले से लगभग 0.8 से 1.0 मी० की दूरी पर स्थित है। निर्माणोपरान्त बैक फिलिंग के उपरान्त अवशेष मिट्टी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा निर्देशित स्थल MRF Center भुजौली कालोनी, देवरिया में Stacking कर ली जायेगी।

राजेश्वर पांडेय
 राजेश्वर पांडेय
 (प्र. 50)

03.02.25
 (Chandraj Reddy)
 A.E.












GPS Map Camera



Deoria, Uttar Pradesh, India


Chatni Gadhi, Cc Rd, Uma Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India

Lat 26.493911° Long 83.766081°

06/08/2025 07:57 PM GMT +05:30




Deoria, Uttar Pradesh, India
Fqv8+j2w, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
Lat 26.494076° Long 83.764773°
06/08/2025 07:55 PM GMT +05:30





GPS Map Camera



Deoria, Uttar Pradesh, India

Fqv8+j2w, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India

Lat 26.494032° Long 83.765013°

06/08/2025 07:16 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Deoria, Uttar Pradesh, India


Fqv7+p5g, Uma Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India

Lat 26.494141° Long 83.762929°

06/08/2025 07:10 PM GMT +05:30



GPS Map Camera






Deoria, Uttar Pradesh, India



31131, Uma Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India

Lat 26.493978° Long 83.765525°

06/08/2025 08:02 PM GMT +05:30








115






1



Check In
 GPS Map Camera
Deoria, Uttar Pradesh, India
 Fqv9+g2j, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493795° Long 83.767565°
 19/05/2025 01:45 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Deoria, Uttar Pradesh, India
 Fqv9+gm2, 30832, Uma Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493634° Long 83.769248°
 23/03/2025 11:00 AM GMT +05:30



GPS Map Camera
Deoria, Uttar Pradesh, India
 Fqv9+gm2, Uma Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493566° Long 83.769297°
 23/03/2025 11:24 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Deoria, Uttar Pradesh, India
 4719, Ram Nath Nagar, Ram Naath Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493555° Long 83.768544°
 23/03/2025 11:26 AM GMT +05:30

118



GPS Map Camera




Deoria, Uttar Pradesh, India
 Chatni Gadhi, Cc Rd, Uma Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493908° Long 83.765957°
 30/03/2025 10:19 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Deoria, Uttar Pradesh, India
 0, Uma Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493744° Long 83.767665°
 30/03/2025 10:25 AM GMT +05:30



GPS Map Camera




Deoria, Uttar Pradesh, India
 Fqv8+fp4, Ram Naath Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493897° Long 83.766717°
 29/03/2025 08:26 PM GMT +05:30



GPS Map Camera




Deoria, Uttar Pradesh, India
 Cc, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India
 Lat 26.493773° Long 83.768181°
 29/03/2025 08:19 PM GMT +05:30











उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड

भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक
सेवा में,

285 / कार-22 / 20

दिनांक- 20-2-2025

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
देवरिया।

ANNEXURE-9

विषय :-

मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा के क्रम में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया हेतु स्वीकृत "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज" क निर्माण में नाले के मार्ग रेखा में पड़ने वाले वृक्षों को हटाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा की क्रम में नगर पालिका परिषद, देवरिया हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज" का निर्माण कार्य अनुबन्ध सं0 04/SE/2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा मेसर्स नन्द एण्ड सन्स, मे0 योगी कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं मेसर्स स्वामी सदानन्द ट्यूब (जे0वी0), N&S-YCC-SST(JV), वार्ड नं0-08, किदवई नगर, चन्दौली, उ0प्र0 द्वारा कराया जा रहा है, जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.01.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 31.03.2025 निर्धारित है। इस कार्यालय के पत्रांक- 964/कार्य-22/100 दिनांक 08.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ड्रेन के निर्माण के दौरान ड्रेन की मार्ग रेखा में पड़ने वाले वृक्षों को हटाने हेतु आगणन उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध पर आपके कार्यालय के पत्रांक 353/2-6 देवरिया, दिनांक 08.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा रू0 1047340.00 मात्र का आगणन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में कार्यरत फर्म द्वारा Net banking के माध्यम से RTGS- BARBR52022112100825515- PRABHAGIYA NIDESHAK SA द्वारा दिनांक 21.11.2022 को धनराशि रू0 1047340.00 मात्र आपके विभागीय खाते में जमा कर दी गयी थी। तदनुसार चैनेज कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक आप द्वारा ड्रेन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों को हटाया गया, जिस पर ड्रेन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रश्नगत परियोजना पर मा0 NGT में वाद दायर होने एवं TAC जांच प्रचलित होने के कारण ड्रेन का निर्माण कार्य लगभग 01 वर्ष तक बाधित रहा। वर्तमान में कतरारी मोड़ से रामनाथ देवरिया होते हुए हनुमान जी मंदिर तक ड्रेन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कतरारी मोड़ से रामनाथ देवरिया होते हुए हनुमान मंदिर तक ड्रेन की मार्ग रेखा में पड़ने वाले वृक्षों को हटाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Anil...

(अनूप सिंह)

ale अधिशासी अभियन्ता

पू0सं0 एवं दिनांक यथोपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी महोदया, देवरिया।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी स्थानीय निकाय, देवरिया।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया।
- 5- श्री पंकज यादव, सहायक अभियन्ता/श्री आर0 के0 चौधरी, जू0 इं0 को इस निर्देश के साथ कि व्यक्तिगत सम्पर्क कर वांछित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Anil...



124

ANNEXURE-10

Email ID : eecd_deoria_upjn@yahoo.com

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड

पत्रांक 1162 /

फायी-22/120

भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

दिनांक- 23-06-2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
देवरिया।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा के क्रम में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद देवरिया हेतु स्वीकृत "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण में मा0 NGT के आदेश दिनांक 09.04.2024 के क्रम में बायोडायवर्सिटी पार्क (जैवविविधता पार्क) बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मा0 NGT के आदेश दिनांक 09.04.2024 के क्रम में एवं आपके कार्यालय पत्रांक 2198/2-6 दिनांक देवरिया मार्च 19/ 2025 एवं 25814/2-6 दिनांक देवरिया अप्रैल 28/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा की क्रम में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-देवरिया के नगर पालिका परिषद, देवरिया हेतु "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज" का निर्माण कार्य अनुबन्ध सं0 04/SE/2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा मेसर्स नन्द एण्ड सन्स, मे0 योगी कन्सल्ट्रक्शन कम्पनी एवं मेसर्स रवागी सदानन्द ट्यूब (जे0वी0), N&S-YCC-SST(JV), वार्ड नं0-08, किदवई नगर, चन्दौली, उ0प्र0 द्वारा कराया जा रहा है। चैनेज कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक ड्रेन के संरेखण में पड़ने वाले 58 पेड़ की छपान एवं पातन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए ड्रेन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मा0 NGT द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में आप द्वारा अपने पत्रांक 2198/2-6 दिनांक, देवरिया, मार्च 19/2025 एवं 2581/2-6 दिनांक देवरिया अप्रैल 28/2025 द्वारा इस खण्ड से बायोडायवर्सिटी पार्क (जैवविविधता पार्क) के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करा कर अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, दिनांक 14.05.2025 को अधोहस्ताक्षरी तथा आप द्वारा हुई वार्ता में बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 0.5-1.0 हे0 क्षे0 की भूमि की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.05.2025 को उपजिलाधिकारी देवरिया सदर एवं तहसीलदार सदर से वार्ता की गयी एवं तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तहसीलदार द्वारा सोन्दा गांव में भूमि उपलब्ध कराते हुए राजस्व विभाग के सम्बन्धित लेखपाल, ग्राम प्रधान एवं वन विभाग के तरफ से वन दरोगा श्री सुवाष चन्द यादव द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था किन्तु उक्त भूमि उपयुक्त है अथवा नहीं, यह अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 NGT के आदेश के क्रम में बायोडायवर्सिटी पार्क (जैवविविधता पार्क) विकसित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

Anand..
(अनूप सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदया, देवरिया।
- 2- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया।
- 3- उपजिलाधिकारी, देवरिया सदर।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया।
- 5- श्री पंकज यादव, सहायक अभियन्ता इस आशय के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में वाछित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Anand..
अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड

भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1352 / फाय्-22 / 137 दिनांक-18-07-2025

अनुस्मारक-1

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
देवरिया।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा के क्रम में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद देवरिया हेतु स्वीकृत "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण में मा0 NGT के आदेश दिनांक 09.04.2024 के क्रम में बायोडायवर्सिटी पार्क (जैवविविधता पार्क) बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मा0 NGT के आदेश दिनांक 09.04.2024 के क्रम में एवं आपके कार्यालय पत्रांक 2198/2-6 दिनांक देवरिया मार्च 19/ 2025 एवं 25814/2-6 दिनांक देवरिया अप्रैल 28/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा की क्रम में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-देवरिया के नगर पालिका परिषद, देवरिया हेतु "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज" का निर्माण कार्य अनुबन्ध सं0 04/SE/2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा मेसर्स नन्द एण्ड सन्स, मे0 योगी कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं मेसर्स स्वामी सदानन्द ट्यूब (जे0वी0), N&S-YCC-SST(JV), वार्ड नं0-08, किदवई नगर, चन्दौली, उ0प्र0 द्वारा कराया जा रहा है। चैनेज कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक ड्रेन के संरेखण में पड़ने वाले 58 पेड़ की छपान एवं पातन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए ड्रेन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मा0 NGT द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में आप द्वारा अपने पत्रांक 2198/2-6 दिनांक, देवरिया, मार्च 19/2025 एवं 2581/2-6 दिनांक देवरिया अप्रैल 28/2025 द्वारा इस खण्ड से बायोडायवर्सिटी पार्क (जैवविविधता पार्क) के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करा कर अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, दिनांक 14.05.2025 को अधोहस्ताक्षरी तथा आप द्वारा हुई वार्ता में बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 0.5-1.0 हे0 क्षे0 की भूमि की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.05.2025 को उपजिलाधिकारी देवरिया सदर एवं तहसीलदार सदर से वार्ता की गयी एवं तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तहसीलदार द्वारा सोन्दा गांव में भूमि उपलब्ध कराते हुए राजस्व विभाग के सम्बन्धित लेखपाल, ग्राम प्रधान एवं वन विभाग के तरफ से वन दरोगा श्री सुबाष चन्द यादव द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था किन्तु उक्त भूमि उपयुक्त है अथवा नहीं, यह अभी तक अवगत नहीं कराया गया है तथा पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 1162/कार्य-22/120 दिनांक 23.06.2025 द्वारा भी भूमि की उपयुक्तता हेतु आपसे अनुरोध किया गया था।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 NGT के आदेश के क्रम में बायोडायवर्सिटी पार्क (जैवविविधता पार्क) विकसित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

पू0सं0 एवं दिनांक यथोपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
- 2- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया।
- 3- उपजिलाधिकारी, देवरिया सदर।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया।
- 5- श्री पंकज यादव, सहायक अभियन्ता इस आशय के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में वाछित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।


अधिशासी अभियन्ता

संख्या / एल0वी0सी0-2023
अधिकासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
देवरिया

दिनांक / अगस्त, 2023

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 11.07.2023 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था-जल निगम, नगरीय देवरिया द्वारा ग्राम-जटमलपुर में नवनिर्मित 32 KLD क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) एवं कार्यदायी संस्था-सी0एण्डडी0एस0, जल निगम नगरीय गोरखपुर द्वारा ग्राम उसरा बाजार में नवनिर्मित 75 टी0पी0डी0 के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य के उपरान्त इसे नगर पालिका परिषद देवरिया को हस्तान्तरित कराये जाने के पूर्व इसकी गुणवत्ता की जाँच हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में अलग-अलग जाँच समिति का गठन किया गया।

1-ग्राम-जटमलपुर में नवनिर्मित 32 KLD क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) से संबंधित समिति की जाँच आख्या :-

उपरोक्त की स्थलीय जाँच, जाँच समिति द्वारा दिनांक 02.08.2023 को किया गया। समिति की जाँच में कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या संतोषजनक पाया गया तथा FSTP PLANT के सभी कम्पोनेन्ट संचालित अवस्था में पाया गया।

2-ग्राम उसरा बाजार में नवनिर्मित 75 टी0पी0डी0 के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट से संबंधित समिति की जाँच आख्या :-

उपरोक्त की स्थलीय जाँच, जाँच समिति द्वारा दिनांक 26.07.2023 को किया गया। समिति की जाँच में कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या संतोषजनक पाया गया।

समिति द्वारा उपरोक्त दोनों कार्यों को नगर पालिका परिषद, देवरिया के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की सहमति दी गयी है। तदुपरान्त जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 16.08.2023 के द्वारा उपरोक्त दोनों कार्यों के संबंध में समिति की जाँच आख्याओं को अवलोकित कर इन्हें नगर पालिका परिषद देवरिया के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त कार्यों को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से नगर पालिका परिषद देवरिया के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु समिति की जाँच आख्या की प्रति संलग्न है।

संलग्नक :- यथोपरि

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देवरिया

संख्या 475 / तददिनांकित
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकासी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, देवरिया।
2. परियोजना निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) यूनिट-14, गोरखपुर।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देवरिया

जिलाधिकारी के कार्यालय जाप संख्या 391/LBC/ दिनांक 11.07.2023 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के कार्यालय पत्रांक 921/अधि0 अधि0/2023-24 देवरिया दिनांक 30.06.2023 द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया के जटमलपुर में निर्मित (FSTP) के निर्माण कार्य को हस्तान्तरण के पूर्व जाँच टीम का गठन कर जाँच कराने का अनुरोध किया गया जो निम्नवत है।

- | | |
|---|---------|
| 1:- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया। | अध्यक्ष |
| 2:- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया। | सदस्य |
| 3:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया। | सदस्य |
| 4:- श्री अनूप पाण्डेय, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया। | सदस्य |

उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 02.08.2023 को कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिस समय कार्यदायी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डिजाइन ड्राइंग, Completion Plan एवं As built drawing प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार योजना अन्तर्गत स्वीकृत मुख्य कार्यों का आइटमवार निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

1- 32 KLD क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (FSTP) -

- i- Huber Sludge Acceptance Plant
- ii- Huber Sludge Dewatering system
- iii- Hypochloride Dosing System
- iv- Machine with Foundation
- v- Sludge Holding Tank
- vi- Final Collection Tank
- vii- Wet Land
- viii- Sludge Drying Bed
- ix- Balance Equipments (i.e. Pumps, Dosing Pumps, Piping, Cable etc.)

2- Utility Building - 1 No.

3- Chowkidar Hut - 1 No.

4- Sludge Storage Room

5- Boundry Wall and Gate

6- Solar Plant

7- Boring and Submersible Pump

8- Cesspool Vehicle- 3 No.


9- Other Work (i.e.- C.C. Road etc.)


उक्तानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया संतोषजनक पाई गई एवं FSTP Plant के सभी कम्पोनेन्ट संचालित अवस्था में पाये गये।

अतः जाँच कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि योजना पर हस्तान्तरण सम्बन्धित अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्नक:-1- फोटोग्राफ

2-Completion Plan.


अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
देवरिया।


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।


अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
देवरिया।


16.08.23
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देवरिया।

Seen


16.08.23

जिलाधिकारी
देवरिया



कार्यालय – नगर पालिका परिषद, देवरिया।
Office of The Municipal Board, Deoria



Website- nppdeoria.in Toll Free No- 1800-180-1382 eonppdeo@gmail.com

पत्रांक 1516 / निर्माण अनु0 / 2023-24 / देवरिया

दिनांक 28/08/2023

सेवा में,


अधिकाशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)
भुजौली कालोनी, देवरिया।

विषय—जटमलपुर में नवनिर्मित 32 KLD क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के हस्तानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था अधिकाशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) भुजौली कालोनी, देवरिया द्वारा जटमलपुर में नवनिर्मित 32 KLD क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) का निर्माण कार्य कराया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त निर्माण कार्य के हस्तान्तरण हेतु इनवेन्ट्री प्रस्तुत की गई। उक्त निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 11.07.2023 द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा दिनांक 02.08.2023 को उक्त निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। दिनांक 17.08.2023 को उक्त निरीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हुई है (छायाप्रति संलग्न) जिसमें उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या संतोषजनक पायी गयी है।

अतः उक्त के क्रम में जटमलपुर में नवनिर्मित 32 KLD क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) दिनांक 28.08.2023 को कार्यदायी संस्था से हस्तान्तरित कर लिया गया है। उक्त कार्य के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक— यथोपरि।


अधिकाशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।


पत्रांक व दिनांक तदैव—

प्रतिलिपि— अपर जिलाधिकारी (प्र0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, महोदय देवरिया।

अधिकाशासी अधिकारी

Sl. NO.	DESCRIPTION	MOC	NO.	VOLUME (CU/M)	LENGTH (DIAM)	WIDTH (M)	SHD (M)	FB (M)	WATER LOAD (T/DAY)
1	FINAL COLLECTION TANK	RCC	1	20	6.075	2.645	1.2	0.6	1.8
2	SERVICE WATER TANK	RCC	1	5	1.635	2.645	1.2	0.6	1.8
3	SURFACE STORAGE TANK	RCC	1	25	8.0	2.2	1.25	-	-
4	SLUDGE DIPPING BLDG	RCC	14	1	1.85	1.85	0.3+0.25	0.2	0.35
5	SLUDGE STORAGE ROOM	BRICK	3	5.8	5.0	-	-	-	-
6	CONSTRUCTED WEILAND	RCC	2	45.4	AS PER S.A. DRG	0.6	0.14	0.14	0.4
7	COMPACT WATER VOLUME	-	-	-	-	-	-	-	-
8	31.1 M OFF MESA + 01.1 M FREE BOARD	-	-	-	-	-	-	-	-

N 1080
N 1070
N 1060
N 1050
N 1040
N 1030
N 1020
N 1010
N 1000
N 990
N 980



Recommendedly Approved
 AE Assistant Engineer
 Construction Division
 U.P. Jal Nigam (Urban), Deoria
 EE Executive Engineer
 Construction Division
 U.P. Jal Nigam (Urban), Deoria

IMPORTANT NOTES

1. THE THICKNESS OF RCC WALLS ARE ACTUAL AS PER STRUCTURAL DESIGN.
2. ALL TANK CIRCUMFERENCES & LOCATIONS AS SHOWN.
3. ALL CONCRETE BLOCK, PUMP, BLOWER, FILTER FOUNDATION SIZES, LOCATIONS & ELEVATIONS AS SHOWN.
4. ALL NOZZLE SIZES & LOCATIONS AS SHOWN.
5. RAILING ARE NOT SHOWN, HOWEVER SHALL BE PROVIDED FOR ALL REQUIRED LOCATION.

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS STATED OTHERWISE.
2. ALL VOLUMES MENTIONED ARE WATER VOLUMES.
3. ABBREVIATIONS:
 GL - GROUND LEVEL, LVL - LEVEL, EL - ELEVATION, P - PUMP, F - FILTER, PL - PLATE, PIP - PIPE, PIP - PIPING, BL - BLOWER, DT - DIPPING TANK, DP - DIPPING PUMP, CB - CONCRETE BLOCK.




OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGG.

1st Construction Division
 U.P. Jal Nigam (Urban)
 Deoria

DRAWN	MK	CLIENT	UTTAR PRADESH JAL NIGAM
CHECKED	SK	SUPPLIER	A.T.E. HUBER ENVIROTECH PVT. LTD.
APPROVED	SG	CONTRACTOR	SHREE RAM CONSTRUCTION
DATE	11/08/2023	PROJECT	22x10 FEEDAL SLUDGE TREATMENT PLANT AT DEORIA PLOT NO. 4
SCALE	N/S	TITLE	COMPLETION PLAN
PRODUCTION		DRAWING NO.	AE-PEP-3488-B01-DEORIA
		SHEET	1 OF 1

COMPLETION PLAN
 PLANT LAYOUT - PLOT 4 - DEORIA



DRAWING STATUS
 AS BUILT
 CONSTRUCTION
 APPROVAL
 REFERENCE

REV. NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHKD
4	UPDATED LAYOUT AS PER AS BUILT	11/08/2023	MK	SG
3	REVISED PLOT AREA AS PER NEW PLOT DIMENSION & UPDATED WALL THICKNESS AS PER RCC DESIGN & OTHER MARKED AS 'S'	15/04/2021	MK	SG
2	REVISED PLOT AREA AS PER NEW PLOT DIMENSION	11/03/2021	MK	SG
1	ADDED AREA FOR SOLAR POWER PLANT, RECHARGE PIT, SECURITY CABIN & ADDED OUTLET & DRAIN NOZZLES, DRAIN PIT & CHANGED DEPTH OF CONSTRUCTED WEILAND 1 & 2, UPDATED PUMPS	22/02/2021	MK	SG
0	NEW DRAWING	22/01/2021	MK	SG

THIS IS THE PROPERTY & COPYRIGHT OF
A.T.E. HUBER ENVIROTECH PVT. LTD.
 128 AREA 4TH FLOOR, BHADRAJI HOUSING SOCIETY, DEORIA ROAD, DEORIA (U.P.) PIN CODE 226001

**AMRUT कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देवरिया के देवरिया नगर पालिका परिषद में
32KLD क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (FSTP) का हस्तानान्तरण नोट**

AMRUT कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देवरिया के देवरिया नगर पालिका परिषद में 32KLD क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (FSTP) के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 414/2019/5386/ नौ-5-2019-196 बजट/2018 दिनांक 13.01.2020 द्वारा 521.33 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में ग्राम जटमलपुर में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर FSTP का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर योजना को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य पूर्ण कराये गये हैं :-

1- 32 KLD क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (FSTP) -

- i- Huber Sludge Acceptance Plant
- ii- Huber Sludge Dewatering system
- iii- Hypochloride Dosing System
- iv- Machine with Foundation
- v- Sludge Holding Tank
- vi- Final Collection Tank
- vii- Wet Land
- viii- Sludge Drying Bed
- ix- Balance Equipments (i.e. Pumps, Dosing Pumps, Piping, Cable etc.)

2- Utility Building - 01 No.

3- Chowkidar Hut - 01 No.

4- Sludge Storage Room- 01 No.

5- Boundry Wall and Gate

6- Solar Plant- 01 Set

7- Boring and Submersible Pump- 01 No

8- Cesspool Vehicle- 03 No.

9- Other Work (i.e.- C.C. Road etc.)

संलग्नक:- उपरोक्त समस्त कार्यों की ड्राईंग एवं डिजाइन।

उपरोक्त योजना सुचारु रूप से संचालित की जा रही है तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया को हस्तानान्तरित की जा रही है।

हस्तानान्तरित किया


28/08/2023
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
देवरिया


28/8/23
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
देवरिया

हस्तानान्तरण प्राप्त किया


28/8/23
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद देवरिया।
नगर पालिका परिषद
देवरिया

प्रतिहस्ताक्षरित


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय) देवरिया